जे.पी.आर.5–812
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)
कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302005
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
ईमेल – se_comml@yahoo.in

क्र0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी–।/एफ.4(   )/पार्ट–।।/प्रे0 1449 जयपुर, दिनांक– 7.10.2016

आदेश

विषयः– ग्रामीण क्षेत्र में अनाधिकृत पेयजल योजनाओं के नियमित कनेक्शन करने हेतु दिशा निर्देश.

ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजनाओं/जल स्रोत के लिये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्थापित कर ग्राम पंचायतों को जनता के लिए कनेक्शन दिये गये है, परन्तु कई ग्राम पंचायतों द्वारा विधिक रूप से विद्युत कनेक्शन नही ले रखे है एवं अनाधिकृत रूप से सिंगल फेज एल.टी. से मोटर चलाकर पेयजल वितरण किया जा रहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 2368 दिनांक 01.08.2016 के द्वारा सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा स्थापित पेयजल योजनाओं एवं ग्राम पंचायतों की सहमति/अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर या अन्य विकास योजनाओं में पीएचईडी द्वारा स्थापित पेयजल योजनाओं पर तत्काल विधिक रूप से विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया जावे।

उक्त पेयजल वितरण व्यवस्था को बिना व्यवधान के नियमित करने के लिये निम्नांकित दिशा निर्देश दिये जाते है :–

1. निगम द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार पेयजल योजनाओं के लिये अलग से ट्रांसफार्मर लगाकर कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है, क्योकि प्रत्येक पेयजल योजना के लिये अलग से ट्रांसफार्मर होने पर उचित वोल्टेज मिलते है एवं विद्युत सप्लाई नियमित रहती है जिससे पेयजल आपूर्ति बाधित नही होती है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं/जल स्रोत पर कनेक्शन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा विद्युत निगम के सहायक अभियन्ता कार्यालय में कनेक्शन हेतु दिनांक 10.10.2016 से 31.12.2016 तक आवेदन करना होगा। आवेदन करने के पश्चात् मौके की जांच कर पृथक ट्रांसफार्मर का एस्टिमेट बनाकर एस्टिमेट राशि जमा कराने के लिये मांग पत्र जारी किया जायेगा।

3. उक्त मांग पत्र की राशि 30 दिवस में जमा करानी होगी अथवा मांग पत्र की राशि जमा कराने हेतू संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक या विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा अण्डरटेकिंग देनी होगी कि मांग पत्र की राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस मे जमा करादी जावेगी।

4. मांग पत्र की राशि जमा होने अथवा अण्डरटेकिंग के बाद कनेक्शन जारी कर दिया जावेगा। कनेक्शन के लिये मीटर (LPR type) ट्रांसफार्मर के पास पोल पर लगाया जायेगा।

5. कनेक्शन जारी होने के पश्चात नियमित बिल सम्बन्धित सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा जारी होना सुनिश्चित किया जावेगा एवं संबंधित पंचायत द्वारा देय होगा।

6. बिल राशि जमा नहीं होने पर कनेक्शन काट कर ट्रांसफार्मर हटा लिया जायेगा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि उपरोक्त कनेक्शन के आस–पास जहां संभव हो वहां अन्य एलटी लाईन हटायी जावे जिससे अनाधिकृत पेयजल योजना को संचालित नहीं किया जा सके।

7. दिनांक 31.12.2016 के पश्चात् ऐसे अनाधिकृत कनेक्शनों एवं उपरोक्त बिन्दु संख्या 6 में वर्णित निर्देशों की जांच/पालना के लिये सघन सतर्कता जांच अभियान चलाया जायेगा एवं विद्युत चोरी पाये जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

आज्ञा से

(के .के. पुरोहित)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)